कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/विविध पुरस्कार/2017–18 दिनांक 28/06/2017

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा(समस्त)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा(समस्त)

विषयः– प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को "पद्माक्षी पुरस्कार" दिये जाने बाबत।
प्रसंगः–शासन का परिपत्र–प.17(13)प्राशि–1/2008 दिनांक– 14.06.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक के क्रम में लेख है कि शासन के प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुसार वर्ष 2017–18 में कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हैं उन छात्राओं को "पद्माक्षी पुरस्कार" दिया जायेगा ।

शासन के उक्त परिपत्र के अनुसार "पद्माक्षी पुरस्कार" हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग नोडल विभाग है अतः परिपत्र की प्रति सलग्न कर आपको पाबंद किया जाता है कि "पद्माक्षी पुरस्कार"के सम्बन्ध में आपके अधिनस्थ समस्त विद्यालयों को सूचित करें व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करें ।

इस योजना के नियम एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया सलग्न है ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है–

01–निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर
02–विशिष्ठ सहायक , माननीय शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
03–वरिष्ठ शासन सचिव, (ग्रुप–5) शिक्षा विभाग , शासन सचिवालय जयपुर
04–उप शासन सचिव, (ग्रुप–2, 6) शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर
05–सचिव, बालिका फाउण्डेशन , जयपुर

22-6-17

अतिरिक्त निदेशक(शैक्षिक)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

राजस्थान सकार

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 17(13)शिक्षा–1/2008 जयपुर, दिनांक : 14.06.2017

–: परिपत्र :–

माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग, बी.पी.एल. एवं निःशक्त वर्ग की ऐसी बालिकाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10 एवं 12 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तथा संस्कृत शिक्षा विभाग की कक्षा 8, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में उपरोक्त वर्गों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को क्रमशः 40,000, 75,000 एवं 1,00,000 रूपये का **'पद्माक्षी पुरस्कार'** दिया जावेगा। इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार राशि का सम्पूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा वहन किया जायेगा।

इस योजना के नियम एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

1. यह योजना वर्ष 2017–18 से लागू होगी।
2. इस योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 8, 10 एवं 12 की परीक्षाओं में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग, बी.पी.एल. एवं निःशक्त वर्ग की ऐसी बालिकाऐं जिन्होंने उक्त बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उन्हें यह पुरस्कार दिया जावेगा।
3. कक्षा 8 (संस्कृत विभाग), प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में उपरोक्त वर्गों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जावेगा।
4. पुरस्कार स्वरूप कक्षा 8 कक्षा 10 एवं 12 की बालिकाओं को क्रमंशः 40,000 रु. 75,000 एवं 1,00,000 रु. एवं प्रमाण पत्र दिये जावेगें।
5. यदि उपरोक्त वर्णित वर्गों में किसी भी वर्ग में समान अंक प्राप्त करने वाली एक से अधिक बालिकाऐं हों तो सभी को पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र दिये जावेगें।
6. इस पुरस्कार हेतु उक्त वर्गो की जिले/राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिर्वाय है।
7. कक्षा 12वीं की कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय को मिलाकर इनमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को पुरस्कार हेतु पात्र माना जायेगा।

www.rajteachers.com

8. उक्त पुरस्कार वितरण हेतु सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नोडल अधिकारी होगें।

9. नोडल जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात जिलेवार उपरोक्त सभी श्रेणियों की प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं की सूची निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को 15 अगस्त तक सम्पूर्ण विवरण (बालिका का नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, पता, वर्ग, श्रेणी संकाय एवं प्राप्तांक आदि) सहित सूची आवश्यक रूप से प्रेषित कर दी जावें।

संस्कृत शिक्षा की कक्षा 8, 10 (प्रवेशिका) एवं 12 (वरिष्ठ उपाध्याय) की राज्य में उपरोक्त श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं की सूची संबंधित संस्कृत सम्भागीय अधिकारी द्वारा तैयार की जाकर निदेशक, संस्कृत शिक्षा को प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा सूची निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को 15 अगस्त तक प्रेषित की जायेगी।

10. पद्माक्षी पुरस्कार की पात्र बालिकाओं की जिलेवार सूची निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन को उपलब्ध करवायी जावेगी।

11. नोडल अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम) एवं निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा पुरस्कृत होने वाली समस्त बालिकाओं की सूचना संबंधित संस्था प्रधान एवं संबंधित बालिकओं को भिजवाई जावेगी।

12. यह पुरस्कार बालिकाओं को नियमित अध्ययन रखने पर ही दिया जायेगा। इसके लिए बालिका की वर्तमान में जहां अध्ययनरत है वहां के संस्था प्रधान से नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. पुरस्कार की पात्र बालिका यदि नियमित अध्ययनरत नहीं अर्थात स्वयंपाठी या कोंचिग कर रही हो ऐसी बालिका को यह पुरस्कार उस वर्ष नहीं दिया जायेगा। यह पुरस्कार बालिका के अगले वर्ष नियमित प्रवेश लेने पर दिया जा सकेगा।

14. कक्षा 12वीं एवं वरिष्ठ उपाध्याय की पुरस्कार पात्र बालिकाओं को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त स्कूटी भी दी जावेगी।

15. उक्त पुरस्कार हेतु पूरक परीक्षा परीणाम को शामिल नहीं किया जावेगा।

16. यह पुरस्कार प्रति वर्ष बसन्त पंचमी को प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया जावेगा।

17. बोर्ड परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन पत्र में जिस जाति/वर्ग का कोड अभ्यर्थी द्वारा भरा गया है वही अन्तिम रूप से मान्य होगा ।

18. नोडल अधिकारी पुरस्कार वितरण की सम्पूर्ण व्यवस्था एवं संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से पुरस्कृत होने वाली प्रत्येक बालिका की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

www.rajteachers.com

19. इस योजना में पुरस्कृत होने वाली बालिका को संबंधित श्रेणी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

20. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा पुरस्कृत होने वाली बालिकाओं के प्रमाण–पत्र, बनवाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवाये जावेगें तथा पुरस्कार राशि बालिकाओं के बैंक खातों में हस्तान्तरित की जावेगी।

21. योजना से राजकीय एवं निजी विद्यालयों (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त) में अध्ययनरत बालिकाओं को सम्मिलित किया जायेगा।

22. इस योजना पर होने वाला व्यय बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(आर.एस. झालानी)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं भाषा विभाग।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, (ग्रुप – 5) विभाग
9. उप शासन सचिव, (ग्रुप – 2, 6) विभाग
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
11. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
12. प्रभारी, शाला दर्पण/शाला दर्शन एवं प्रभारी वैब पोर्टल को भेजकर लेख है कि पद्माक्षी पुरस्कार प्राप्त करने वाली बालिकाओं का विवरण अपलोड करावें।
13. उप निदेशक, सांख्यिकी।
14. शिविरा सम्पादक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को भेजकर लेख है कि पद्माक्षी पुरस्कार योजना के उचित प्रचार–प्रसार हेतु इस परिपत्र को शिविरा पत्रिका में भी प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
15. समस्त प्रधानाचार्य, डाईट।
16. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी–शिक्षा

www.rajteachers.com